आईआईटी इंदौर वन सलाहकार समिति की रिपोर्ट से उजागर हुई प्रशासन की लापरवाही

कमजोर प्रस्ताव बनाकर भेजा था



जिला प्रशासन और वन विभाग भले ही सतर्क हो गए हैं लेकिन यह साफ है कि आईआईटी इंबौर परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में जिला प्रशासन व शासन ने लापरवाही की है।

भास्कर संवाददाता इंदौर

केंद्रं ावास एवं पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने जो रिपोर्ट बनाई है उससे साफ है कि आईआईटी की जमीन का झगड़ा वन व राजस्व भूमि के बीच में झुल रहा है। पत्र भले ही प्रशासन को नहीं मिला है लेकिन कलेक्टर के मुताबिक केंद्र सरकार को जवाब भेजने की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपजाऊ जमीन के जिस बिंदु पर आपिता ली गई है वह मिल चुकी है।

बुधवार दोपहर करीब पौने दो बजे मुख्य वन संरक्षक पी.सी. दुबे ने अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूमि प्रबंधन) नरेंद्र कुमार से मंत्रालय की समिति की आपित्तयों की जानकारी ली। फिर उन्होंने कलेक्टर राघवेंद्रसिंह और वनमंडलाधिकारी सईद खान से अलग-अलग चर्चा कर उक्त सुझाव वेबसाइट से लेने की बात कही। जिला प्रशासन और वन विभाग उक्त जमी र बनाए जाने वाले भवन व अन्य निर्माण के नेक्त को भी भेज रहा है। माना जा रहा है एक-े दिन में वह संशोधित प्रस्ताव भेज देगा।

'प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाए'

सलाहकार समिति ने पर्यावरण मंत्रालय को दिया सुझाव

सलाहकार समिति ने रिपोर्ट में रिफारिश की है कि इँदौर शहर के आसपास के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए शहर के पास रिशत वन क्षेत्र में आईआईटी जैसी परियोजना सही नहीं है। म.प्र. सरकार द्वारा पेश इस प्रस्ताव को खारिज कर देना चाहिए।

समिति द्वारा उठाए गए बिंदु

- » डायवर्शन के लिए जो वन भूमि प्रस्तावित है, उसका लीगल स्टेट्स आरक्षित वन का है।
- » डायवर्शन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में 7164 पेड़ हैं। इसमें पेड़ों का औसत घनत्व 89.55 पेड़ प्रति हेक्टेयर है।
- » जो जमीन आईआईटी के लिए प्रस्तावित हैं उसमें उन स्थानों को प्रस्ताव में स्पष्ट, तौर पर चिक्कित नहीं किया गया है, जहां भवन और आधारभृत ढांचे का निर्माण होगा।
- अ वन्य संरक्षण कानून 1980 की गाइडलाइन के पैरा क्रमांक 4.5 में यह व्यवस्था है कि वन भूमि पर भवन निर्माण के लिए डायवर्षन पर विचार नहीं किया जाएगा। सिर्फ स्कूल, हॉस्पिटल/डिस्पेंसरी, कम्युनिटी हॉल, को-आपरेटिब्स, पंचायत, छोटे शासकीय ग्रामीण औद्योगिक शेड आदि जो लोगों के लिए फायदेमंद हो, उसके लिए एक हेक्टेयर की अनुमति दी जा सकती है।
- » हासलपुर गांव की जो 30.177 हेक्टेयर की गैर वनभूमि वनीकरण के लिए चुनी गई है, वह पौधारोपण के लिए उचित नहीं पाई गई है। साथ ही अब तक निर्माण एजेंसी ने कोई वैकल्पिक स्थान भी नहीं सुझाया है।
- » आईआईटी के वन क्षेत्र में स्थापना और वैकल्पिक गैर वन भूमि को लेकर प्रस्ताव में कोई विश्वास योग्य तर्क नहीं दे पाए।

उस समय राजस्व रिकॉर्ड में थी

वन सलाहकार समिति कह रही है म.प्र. सरकार के जमीन के इस प्रस्ताव को खारिज कर देना चाहिए।

» मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा पत्र नहीं आया है। जब पत्र आएगा तो जवाब दे दिया जाएगा।

आईआईटी के लिए रिजर्व फारेस्ट की जमीन का प्रस्ताव बनाकर क्यों भेजा गया था?

» तब राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। जब प्रस्ताव बना तब वनभूमि में चली गई।

आईआईटी के डायरेक्टर का आरोप है कि सरकार व जिला प्रशासन ने उन्हें बताया नहीं कि रिजर्व फारेस्ट की जमीन उन्हें दे रहे हैं?

»मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता।

- कलेक्टर राघवेंद्रसिंह से सीधी बात

हमें उपजाऊ जमीन मिल चुकी है

जिला प्रशासन द्वारा आपको दी गई जमीन पर आपत्ति है?

» हमें 50 हेक्टेयर जमीन तो मिल चुकी थी। हासलपुर की जमीन ठीक नहीं थी जिसे हमने लेने से मना कर दिया है। पिछले एक माह की कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने हमें 30 हेक्टेयर की जमीन सिवनी (26 हेक्टेयर) व सिमरोल के पास मेमदी (4 हेक्टेयर) में उपलब्ध करा दी हैं। इसकी जानकारी भी हम प्रोजेक्ट बनाकर राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र को भेज रहे हैं।

रिजर्व फारेस्ट की जमीन प्रशासन दे रहा था तब आपने आपत्ति क्यों नहीं ली?

» रिजर्व फारेस्ट में लैंड डायवर्शन होता है जो पहले भी कई मामलों में हो चुका है। बस केंद्र सरकार की इसमें अनुमति चाहिए जो मिल जाना चाहिए।

वन सलाहकार समिति का कहना है लैंड डायवर्शन सिर्फ स्कूल, हॉस्पिटल/डिस्पेंसरी, कम्युनिटी हॉल आदि को ही मिल सकते हैं?

» आईआईटी भी तो एक तरह का स्कूल ही है। यह जमीन मिलना चाहिए।

वन सलाहकार समिति के सुझाव के बाद अब आप क्या कर रहे हैं?

» 30 हेक्टेयर के मामले पर दे रहे हैं जवाब।